सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 614 राँची, बुधवार, 8 भाद्र, 1938 (श०)

30 अगस्त, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

18 जनवरी, 2017

विषय:- जन वितरण प्रणाली दुकान के अनुकम्पा से संबंधित प्रावधानों में आश्रित परित्यक्ता पुत्री को शामिल करने एवं एक बार ही अनुकम्पा का लाभ देने से संबंधित प्रावधान विलोपित करने के संबंध में ।

संख्या- खा.आ.-05 (ज.वि.प्र.)-02/2013 – 240-- विभागीय संकल्प संख्या 1580, दिनांक 6 अगस्त, 2009 द्वारा जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति केवल बी०पी०एल० महिला स्वयं सहायता समूह को ही दी जानी है । विभिन्न स्तरों से उठाई जा रही मांग, अनुशंसा एवं मंतव्यों को सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त एवं विचारोपरान्त व्यक्तिगत जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को दुकान की अनुज्ञप्तिधारियों की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान विभागीय संकल्प संख्या 1380, दिनांक 13 मई, 2014, संकल्प संख्या 3135, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 एवं संकल्प संख्या 7582 दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 के द्वारा किया गया है।

2. मृत व्यक्तिगत जन वितरण प्रणाली दुकानदार के आश्रित बेरोजगार पति/पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री/विधवा बहु/विधवा पुत्री में से किसी एक को अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रावधान है। विभिन्न स्तरों से आश्रित बेरोजगार परित्यक्ता पुत्री को भी इस सूची में शामिल करने की मांग/अनुशंसा की जा रही है।

3. विभागीय संकल्प संख्या 1380, दिनांक 13 मई, 2014 की कंडिका-V में वर्णित है कि किसी भी अनुज्ञप्ति के संबंध में अनुकम्पा का लाभ मात्र एक बार ही देय होगा । अनुकम्पा का आधार दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति से जुड़ा होने के कारण कई स्तरों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि इसे एक या दो बार में सीमित करना प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है । अतः इस कंडिका को विलोपित करने की मांग की जा रही है ।

4. सरकार के द्वारा समीक्षोपरान्त एवं विचारोपरान्त जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों की सूची में बेरोजगार परित्यक्ता पुत्री को भी शामिल करने का प्रस्ताव है । साथ ही विभागीय संकल्प संख्या 1380, दिनांक 13 मई, 2014 की कंडिका-V में वर्णित प्रावधान, कि किसी भी अनुज्ञप्ति के संबंध में अनुकम्पा का लाभ मात्र एक बार ही देय होने, को विलोपित किया जाता है ।

5. जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुकंपा से संबंधित पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 1380, दिनांक 13 मई, 2014, संकल्प संख्या 3135, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 एवं संकल्प संख्या 7582, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी ।

6. प्रस्ताव पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का परामर्श निम्नवत् प्राप्त है -
"जन वितरण प्रणाली दुकानों का मामला सरकारी सेवक से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत अनुकंपा के आधार पर नियोजन की नीति इस मामले में सीधे तौर पर प्रभावी नहीं है । प्रशासी विभाग अपने विवेक से इस मुद्दे पर विचार कर निर्णय लेना चाहेगा ।"

साथ ही यह भी टिप्पणी है कि "प्रसंगाधीन संलेख जन वितरण प्रणाली दुकान के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के नीमित अनुकंपा संबंधित प्रावधानों के संशोधन के संबंध में है तथा इसमें कार्मिक प्रबंधन का कोई बिन्दु समाहित नहीं है ।"

7. इससे संबंधित विभागीय संलेख संख्या 5361, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10 जनवरी, 2017 के मद संख्या-01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 614--50